प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 160/2023

अनवान : –

1. पप्पु पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. जयवीर पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. रोहिताश पुत्र निकुराम श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र नारायण जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मोहनी पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगणगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि वादीगण स0 5 व प्रतिवादीगण के नाम से सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा के खाता स0 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि में से 25 हिस्सा भूमि वादीगण स0 1 ता 4 के पिता श्योचन्द पुत्र नारायण ने वादीगण स0 5 के पिता नेकीराम से प्रतिवादीगण स0 1 की खरीदशुदा भूमि है जिसका बैयनामा दिनांक 08.06.2011 को तहरीर व तस्दीक हुआ और खरीद के समय से ही भूमि प्रतिवादीगण स0 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन भूमि बैंक के रहन होने के कारण से प्रतिवादीगण स0 1 के नामान्तरण दर्ज नही हो पाया। निकुराम फौत [illegible] है जिसके बाद निकुराम के वारिसों के नाम भूमि विरासतन दर्ज हो चुकी है। [illegible] जो कि मुताबिक बैयनामा दिनांक 08.06.2011 के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि वादीगण स0 5 की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण स0 5 का जन्मजात हक हिस्सा है तथा वादीगणगण 1 ता 4 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो कि हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण से प्रतिवादीगण स0 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई जिसमें वादीगणगण स0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगणया स0 3 ता 4 जो की वादीगण स0 5 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि से 0.31625 हैक्ट भूमि पर वादीगण स0 1 काबिज है तथा शेष भूमि पर वादीगण स0 2 व प्रतिवादीगण स0 1 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा के खाता स0 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि जो की प्रतिवादीगण स0 1 के नाम दर्ज में वादीगणगण स0 1 ता 4 व प्रतिवादीगण स0 1 बहिब काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगणको कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणको जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणको कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा आदि पेश किये। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा सोनड़ी के ख0न0 957/1 व 957/4 व 958/2 की कुल 11. 4450 हैक्ट भूमि मे से 42—1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि से 25 हिस्सा भूमि का बैयनामा दिनांक 08.06.2011 को श्योचन्द पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर को कमला, मोहनी, शकुन्तला रोहताश के पिता ने विक्रय कर दिया था तथा समस्त प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया लेकिन उक्त भूमि ऋण होने के कारण क्रेता श्योचन्द के नाम से बैयनामा का नामान्तरण नही हो सका। हमारे पति व पिता की मृत्यु हो चुकी है अब उक्त भूमि हमारे विरासतन दर्ज हो चुकी है। मुताबिक बैयनामा दिनांक 08.06.2011 के अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज की जाती है तो हम हम पक्षकारान को उक्त 25 हिस्सा भूमि बाबत कोई उज्र व एतराज नही होगा हमारी पूर्णतया सहमति है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा व राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव [illegible]-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त [illegible] परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि [illegible] को प्रतिवादीगणस0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि वादीगण स0 5 व प्रतिवादीगणके नाम से सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा के खाता स0 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा मुताबिक बैयनामा दिनांक 08.06.2011 के अनुसार के मुताबिक उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 2 ता 4 व वादी स0 5 के पिता निकुराम ने श्योचन्द को बेचान कर दिया था। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 149/133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 3 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर 0.31625 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज इसी खाता की भूमि में शामिल की जाकर प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि का वादी स0 5 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा के खाता स0 35/105 के खसरा न0 955/2 की 2.1370 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में वादी स0 1 ता 4 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा इसी खाता में प्रतिवादी स0 3 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि का वादी स0 5 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं वादी स0 5 का नाम दोनों खातों की भूमि में रोहिताश पुत्र निकुराम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 160 / 2023

अनवान : –

1. पप्पु पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. जयवीर पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. रोहिताश पुत्र निकुराम श्योचन्द जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र नारायण जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मोहनी पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 160 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 149 / 133 की कुल 11.4450 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 3 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर 0.31625 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज इसी खाता की भूमि में शामिल की जाकर प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष भूमि का वादी स0 5 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा के खाता स0 35 / 105 के खसरा न0 955 / 2 की 2.1370 है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में वादी स0 1 [illegible] 4 [illegible] प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये [illegible] प्रतिवादी स0 3 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि का वादी स0 5 [illegible] प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

काश्तकार घोषित किये जाते है एवं वादी स0 5 का नाम दोनों खातों की भूमि में रोहिताश पुत्र निकुराम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:22 IST
Reason: SelfAttested